न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा,
जिला जोधपुर केम्प चान्देलाव

पीठासीन अधिकारी :– हरिसिंह लम्बोरा आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:– 97 / 2016

प्रार्थी
सरकार जरिये
तहसीलदार बिलाड़ा

बनाम

अप्रार्थी
1. भूराराम पुत्र गुलाराम जाति जाट
निवासी चान्देलाव, तहसील बिलाड़ा
2. नानकराम पुत्र गुलाराम, जाति जाट
निवासी चान्देलाव तहसील बिलाड़ा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 राज. भू राजस्व अधिनियम
तरमीम निरस्त करने बाबत्

– – – – –

उपस्थिति :– प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार
अप्रार्थी सं. 1 से 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

:: आदेश :: दिनांक :– 10.05.2017

पत्रावली आज दिनांक 10.05.2017 को बमुकाम चान्देलाव राजस्व लोक अदालत शिविर न्याय आपके द्वार में वास्ते निर्णय हेतु प्रस्तुत हुयी जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम चान्देलाव तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 441 रकबा 1624 बीघा राजकीय भूमि वक्त बन्दोबस्त थी। ग्राम चान्देलाव के खसरा नम्बर 441 रकबा 1624 बीघा में से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता को 15 बीघा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन हुयी। जिसका नामान्तरकरण संख्या 203 दायर होकर स्वीकृत हुआ। तत्पश्चात् खातेदार गुलाराम व जमुदेवी के देहान्त पर उक्त आराजी का नामान्तरकरण संख्या 749 व 1823 से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज हुई। उक्त आराजी वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज है, उक्त नामान्तरकरण की पुश्त पर आवंटन सुदा भूमि की तरमीम दर्ज नही है। नामान्तरकरण सं. 1556, 1585 की सत्यप्रतिलिपि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। पटवारी चान्देलाव के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार पुराने नक्शा ट्रेस में उक्त पद संख्या 2 में वर्णित भूमि की तरमीम दर्ज नही है। जो नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है, जिसकी नकल प्रदर्श 1 से 4 है। तरमीम पूर्व में पटवारी चान्देलाव श्री

उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सूरजनारायण मीणा द्वारा वर्ष 2012 में क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर उक्त तरमीम नक्शे में दर्ज कर दी जबकि उक्त कार्यवाही हेतु भू. अ. निरीक्षक अधिकृत है। जो खसरा नम्बर 441/20 की जमाबन्दी संवत् 2066 से 2069 वास्ते सबूत साथ में पेश है, जो प्रदर्श 8 है। पद संख्या 5 में दर्ज की गयी तरमीम मौका स्थिति के अनुरूप नही की गयी। तरमीम ऐसे क्षैत्र में की गई पुरानी झाडिया उगी हुयी है एवं कब्जा काश्त नही हे। इस प्रकार पटवारी श्री सूरजनारायण मीणाा ने पद संख्या 2 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 441/20 की तरमीम अपने अधिकार क्षैत्र व शक्तियों से बाहर जाकर पुख्ता की एवं कब्जे के विपरित की गयी है। जो निरस्त योग्य है।

अन्त में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त गलत तरमीम को निरस्त करने का आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया, अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये, नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बावजुद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

उभय पक्षकार सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गयी। सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस मे अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस सुनाई एवं निवेदन किया कि तरमीम को निरस्त किया जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया जिससे पाया गया कि ग्राम चान्देलाव तहसील बिलाड़ा के भूमि खसरा नम्बर 441 रकबा 1624 बीघा में से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को 15 बीघा का आवंटन हुआ था जिसकी तरमीम राजस्व नक्शे में पेनसली प्रस्तावित करने के लिए पटवारी एवं लाल स्याही से तरमीम पुख्ता करने के लिए भू. अभिलेख निरीक्षक अधिकृत है, इस मामलें में तरमीम पटवारी हल्का द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर की गयी है, इसके लिए सम्बंधित पटवारी के विरूद्ध सी.सी.ए. नियम 17 के तहत कार्यवाही की जाकर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जा चुका हैं। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में तरमीम मौका स्थिति के अनुरूप नही की गयी है। तरमीम ऐसे

उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

क्षैत्र में की गयी जहा पुरानी झाड़िये उगी हुयी है एवं कब्जा काश्त नही है। अतः ग्राम चान्देलाव तहसील बिलाड़ा की सीमा में स्थित खसरा नम्बर 441/20 रकबा 15 बीघा की वर्तमान लठा ट्रेस में की गयी तरमीम को निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार बिलाड़ा को आदेशित किया जाता है कि उक्त खसरे का मौका निरीक्षण करवाकर जहा पर भूमि का आवंटन हुआ है एवं जिस स्थान पर आवंटी अथवा भू के खरीददारान का कब्जा काश्त है, वहा पर नये सिरे से तरमीम करवायी जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। इस आदेश की प्रतिलिपि तहसीलदार बिलाड़ा को भिजवायी जाकर पालना मंगवायी जावे। पत्रावली फैशलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हरिसिंह लम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आदेश आज दिनांक 10.05.2017 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(हरिसिंह लम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा